न्यायालय सहायक कलेक्टर ,एवं उपखण्ड़ अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

संख्या प्रार्थना पत्र –21/2025

अनवान

1. महिपाल सिंह उर्फ महेन्द्र पाल सिंह उर्फ बबलू पुत्र तेज सिह, जाति राजपूत, उम्र बालिग, निवासी ग्राम सेमलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़, राजस्थान।
2. राजसिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह पुत्र तेज सिह, जाति राजपूत, उम्र बालिग, निवासी ग्राम सेमलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़, राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब रावतभाटा।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – श्री अर्जुन सिंह प्रार्थी
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 25.03.2026

प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेकाश्त की कृषि आराजीयात ग्राम सेमलिया, पटवार हल्का रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान में स्थित है जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 कि खाता संख्या 127 खसरा संख्या 160,184,185, कुल किता 03 रकबा 15.0100 हैक्टर है। जिसमे प्रार्थीगण का 1/28–1/28 हिस्सा दर्ज निहित है, जिसमे प्रार्थी संख्या 01 का नाम महिपाल सिंह पुत्र तेज सिंह व प्रार्थी संख्या 02 का नाम राजसिंह पुत्र तेजसिह लिखा हुआ है तथा इसी प्रकार ग्राम सेमलिया कि जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 कि खाता संख्या 54, खसरा संख्या 158 जिनमे प्रार्थीगण का 1/28–1/28 हिस्सा व खाता संख्या 57 खसरा संख्या 118 जिनमे प्रार्थीगण का 1/84–1/84 हिस्सा जिनमे प्रार्थी संख्या 01 का नाम महिपाल सिंह पुत्र तेजसिंह व प्रार्थी संख्या 02 का नाम राजेन्द्र सिह पुत्र तेजसिंह लिखा हुआ है व इसी प्रकार ग्राम सेमलिया कि जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 कि खाता संख्या 58 खसरा संख्या 132,152,182,183,359 जिनमे प्रार्थीगण का 1/28–1/28 हिस्सा व खाता संख्या 59 खसरा संख्या 112, 113, 114, 115, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 134, 157,161,166, 167, 168 जिनमे प्रार्थीगण का 1/84–1/84 हिस्सा दर्ज निहित है उक्त जमाबंदी में प्रार्थी संख्या 01 का नाम बबलू पुत्र तेजसिह तथा प्रार्थी संख्या 02 का नाम राजेन्द्र सिह पुत्र तेजसिह लिखा हुआ है। उपरोक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाईन जमांबदी नकल ग्राम सेमलिया कि खाता संख्या 127, 54, 57, मे प्रार्थी संख्या 01 का नाम महिपाल सिंह व ग्राम सेमलिया कि खाता संख्या 58 व 59 में प्रार्थी संख्या 01 का नाम बबलू लिखा हुआ है, जो कि प्रार्थी संख्या 01 के बचपन के नाम है तथा प्रार्थी संख्या 01 को इन्ही नामों से पुकारा जाता था, तथा प्रार्थीगण के के पिता के स्वर्गवास के उपरान्त विरासत का नामान्तरण खोला गया तब नामान्तरण प्रार्थी संख्या 01 के बचपन मे पुकारे जाने वाले नाम राजसिह व बबलू के नाम से नामान्तरण खोल दिया गया था, जबकि प्रार्थी संख्या 01 के आधार कार्ड संख्या 5291 5239 5448 तथा पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि मे प्रार्थी संख्या 01 का नाम महेन्द्र पाल सिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लिखा हुआ है। तथा उक्त तीनो नाम महिपाल सिंह, महेन्द्र पाल सिंह व बबलू मुझ प्रार्थी संख्या 01 के ही नाम है, तथा प्रार्थी संख्या 01 को तीनो ही नामो से जाना व पहचाना जाता है तथा इसी प्रकार उपरोक्त पैरा संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाईन जमांबदी नकल ग्राम सेमलिया कि खाता संख्या 127 में प्रार्थी संख्या 02 का नाम राजसिंह जो कि प्रार्थी संख्या 02 का बचपन का नाम है तथा प्रार्थी संख्या 02 को इसी नाम से पुकारा जाता था, तथा प्रार्थीगण के पिता के स्वर्गवास के उपरान्त विरासत का नामान्तरण खोला गया तब नामान्तरण प्रार्थी संख्या 02 के बचपन में पुकारे जाने वाले नाम राजसिह के नाम से नामान्तरण खोल दिया गया था, जबकि प्रार्थी संख्या 02 के ग्राम सेमलिया कि अन्य जमाबंदी खाता संख्या 54,57,58 व 59 मे तथा प्रार्थी के आधार कार्ड संख्या 2083 7393 4410 तथा पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि मे प्रार्थी संख्या 02 का नाम राजेन्द्र सिंह लिखा हुआ है। तथा उक्त दोनो राजसिंह व राजेन्द्र सिह प्रार्थी संख्या 02 के ही नाम है, तथा प्रार्थी संख्या 02 को दोनो ही नामो से जाना व पहचाना जाता है। अंत में प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया है कि हम प्रार्थीगण के खाते दर्ज रिकॉर्ड कृषि आराजीयात जो ग्राम सेमलिया, पटवार हल्का रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान मे स्थित जिनकी खाता संख्या 127,57,58,59 मे प्रार्थी संख्या 01 का नाम महिपाल सिंह उर्फ महेन्द्र पाल सिंह उर्फ बबलू व प्रार्थी संख्या 02 का नाम राजसिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह किये जाने कि इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो प्रकरण में वांछित रिपोर्ट दिनांक 23.03.2026 से पेश की गई। तहसीलदार रावतभाटा अनुसार वर्तमान जमाबंदी संवत 2076–79 ग्राम सेमलिया प0ह0 रेनखेडा में प्रार्थी संख्या 01 का खाता संख्या 127, 54, 57 मे महिपाल सिंह पुत्र तेजसिंह खाता संख्या 58, 59 मे प्रार्थी का संख्या 01 का नाम बबलू पुत्र तेजसिंह दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी संख्या 02 का ग्राम सेमलिया जमाबंदी वर्तमान 2076–79 अनुसार खाता संख्या 127 मे राजसिंह पुत्र तेजसिंह एवं खाता संख्या 54, 57, 58, 59 मे राजेन्द्र सिंह पुत्र तेजसिंह दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी संख्या 01 के ड्राईविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल की हाईस्कूल अंकतालिका (अनुक्रमांक 2107925097) मे नाम महेन्द्रपाल सिंह पुत्र तेजसिंह अंकित है। स्थानीय व्यक्तियों (मौतबिरान) के अनुसार प्रार्थी संख्या 01 को बचपन से ही पडोस में बबलू एवं महिपाल नाम से पुकारा जाता रहा है। अतः महेन्द्रपाल सिंह/महिपाल सिंह/बबलू तीनों नाम एक ही व्यक्ति के है। प्रार्थी संख्या 02 के राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा जारी स्थानांनतरण प्रमाण पत्र में नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र तेजसिंह अंकित है। अतः राजसिंह एवं राजेन्द्र सिंह दोनो नाम एक की व्यक्ति के है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करने से व इकबाले जवाब पेश करने से एवं प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों व शपथ पत्रों एवं ग्राम पंचायत रेनखेडा के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थीगण के कथनों की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया है कि ग्राम सेमलिया, पटवार हल्का रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान मे स्थित जिनकी खाता संख्या 127, 57, 58, 59 भूमि मे प्रार्थीगण का बचपन का नाम बबलू और राजेन्द्र सिंह है, जबकि प्रार्थी का असल नाम क्रमशः महिपाल सिंह उर्फ महेन्द्रपाल सिंह उर्फ बबलू एवं राजसिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह होकर समस्त दस्तावेजों मे अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का नाम बबलू/महेन्द्रपाल एवं राजेन्द्र सिंह के स्थान पर महिपाल सिंह उर्फ महेन्द्रपाल सिंह उर्फ बबलू एवं राजसिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह करने के संबंध में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है'

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

:—आदेशः—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा—136 रा.ले.रे.एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम सेमलिया, पटवार हल्का रेनखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान मे स्थित जिनकी खाता संख्या 127, 54, 57, 58, 59 भूमि में प्रार्थीगण का नाम महेन्द्रपाल सिंह/बबलू के स्थान पर महिपाल सिंह उर्फ महेन्द्रपाल सिंह उर्फ बबलू एवं राजेन्द्र सिंह के स्थान पर राजसिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 25 .03.2026 को सुनाया गया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ़